न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर, खैरथल तिजारा राज0

पीठासीन अधिकारी सुरेश कुमार बलाई

प्रार्थना पत्र संख्या	दायर दिनांक	आदेश दिनांक
50/2023	28.08.2023	17.06.2025

बउनवान

1. केशराम पुत्र भैरू जाति गुर्जर निवासी अलीपुर तह0 मुण्डावर जिला खैरथल–तिजारा राज0।

—: प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड हौल्डर श्रीमान तहसीलदार महोदय, मुण्डावर जिला अलवर राज0।

—: अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र – अन्तर्गत धारा 136
भू0 राजस्व अधिनियम 1956

श्री सरजीत सिंह यादव :– प्रार्थी अधिवक्ता

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र का सार निम्न प्रकार से है कि :–

1. यह है कि आराजी हाल ख०न० 865 रकबा 0.01 हैक0, 866 रकबा 2.60 हैक0, 615 रकबा 0.52 हैक० वाके ग्राम अलीपुर तह० मुण्डावर में स्थित है। जो आराजी इस प्रार्थना पत्र में विवादित कहलायेगी। हाल जमाबन्दी सम्वत 2072–2075 संलग्न प्रार्थना पत्र है।
2. यह है कि उक्त विवादित आराजी प्रार्थी की कब्जेकाश्त एवं खातेदारी की आराजी है तथा मिन प्रार्थी आराजी पर शान्तिपूर्वक काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है।
3. यह है कि राजस्व रिकोर्ड जमाबन्दी सम्वत् 2072 से 2075 में प्रार्थी का नाम केशाराम पुत्र भैरू कर दिया जबकि जमाबन्दी सम्वत् 2063 से 2066 में केशराम पुत्र भैरू है। जो कि हाल जमाबन्दी में केशाराम पुत्र भैरू के स्थान पर केशराम पुत्र भैरू दर्ज किया जाना था।
4. यह है कि उक्त विवादित ख० नम्बरान में मिन प्रार्थी का नाम राजस्व रिर्कोड में केशाराम पुत्र भैरू जाति गूर्जर निवासी अलीपुर अंकित है, जबकी प्रार्थी के अन्य दस्तावेजात में प्रार्थी का नाम केशराम पुत्र भैरू जाति गुर्जर निवासी अलीपुर अंकित है, जबकि केशराम व केशाराम एक ही व्यक्ति है, जबकि प्रार्थी का नाम राजस्व रिर्कोड में अलग दर्ज होने व दस्तावेजात में अलग नाम दर्ज होने से प्रार्थी को काफी परेशानी हो रही है तथा कानूनी अड़चन पैदा होती है तथा प्रार्थी को काफी परेशानीयों का सामना करना पड रहा है, इसलिए उक्त विवादित आराजीयत में मिन प्रार्थी का नाम राजस्व रिकोर्ड में केशराम पुत्र भैरू दर्ज कर, राजस्व रिकॉड शुद्ध किया जावे। राजस्व रिर्कोड व अन्य दस्तावेजात की प्रति संलग्न प्रार्थना पत्र है।
5. यह है कि प्रार्थी को उक्त राजस्व रिर्कोड में गलत इन्द्राज की जानकारी नही थी, लेकिन अब दिनांक 10/8/2023 को मिन प्रार्थी को राजस्व रिर्कोड की आवश्यकता होने पर हल्का पटवारी से सर्म्पक किया तथा राजस्व रिकॉड की नकल प्राप्त की तो उक्त गलत अंकन की जानकारी हुयी, जिसकी जानकारी होने पर मिन प्रार्थी अप्रार्थी से सर्म्पक किया तथा राजस्व रिकॉड दूरूस्त करने बाबत कहा तो अप्रार्थी ने सक्षम अदालत श्रीमान से आदेश कराने बाबत कहा, जिस पर अविलम्ब ही प्रार्थना पत्र अदालत श्रीमान के समक्ष पेश किया जा रहा है।

मिन प्रार्थी का नाम राजस्व रिकाॅड में केशराम पुत्र भैरू दर्ज कर...

Scanned with OKEN Scanner

प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के माध्यम से अनुतोष चाहा गया है कि :–

- अतः प्रार्थना पत्र पेशकर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र मिन प्रार्थी स्वीकार किया जाकर, आराजी हाल ख०न० 865 रकबा 0.01 हैक्0, 866 रकबा 2.60 हैक्0, 615 रकबा 0.52 हैव० वाके ग्राम अलीपुर तह० मुण्डावर में मिन प्रार्थी के नाम केशाराम के स्थान पर केशराम दर्ज किया जाकर राजस्व रिर्कोड शुद्ध किया जाने के आदेश फरमाया जाने की कृपा करे।

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर्ड कर अप्रार्थी की विधिवत रूप से तामिल करवाई गई। अप्रार्थी ने उपस्थित होकर अपना जबाव प्रस्तुत किये जाने हेतु समय चाहाने पर जवाब सरकार प्रस्तुत करने हेतु काफी अवसर उपरांत भी जवाब सरकार प्रस्तुत नही करने पर जवाब सरकार बन्द किया गया।

प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में राशनकार्ड, पहचान पत्र, आधार कार्ड, ड्राईविंग लाईसेंस, पटवारी रिपोर्ट दिनांक 13.07.2023, ग्राम पंचायत बासनी का पत्र दिनांक 13.06.2023, जामबन्दी सम्वत 2072–75 किता 3, जमाबन्दी सम्वत 2063–66 पेश की है।

प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के समर्थन में बहस के दौराने कथन कहे कि प्रार्थी का नाम विवादित आराजी के साबिक रिकोर्ड में केशराम पुत्र भैरू राजस्व रिकोर्ड दर्ज है, परन्तु वर्तमान सैटमेन्ट ने केशराम के स्थान पर केशाराम दर्ज कर दिया गया। जो गलत है। क्योकि प्रार्थी का दस्तावेजी सही नाम केशराम है। इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर केशाराम के स्थान पर केशराम दर्ज किया जावें।

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र व दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन करने पर विवेचन इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात में केशाराम ना होकर केशराम है। इसलिए यह न्यायालय प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार योग्य पाता है।

आदेश

उक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र को स्वीकार योग्य पाये जाने की स्थिति में प्रार्थना पत्र को स्वीकर किया जाता है कि आराजी हाल खसरा नम्बर 865 रकबा 0.01 हैक्0, 866 रकबा 2.60 हैक्0, 615 रकबा 0.52 हैक्0 वाके ग्राम अलीपुर तह0 मुण्डावर के राजस्व रिकॉड में दर्ज केशाराम को कलमजन किया जाकर प्रार्थी केशराम पुत्र भैरू के नाम का अमल दरामद किया जावें। तहसीलदार मुण्डावर को अहकाम जारी हो।

यह निर्णय आज दिनांक 17.06.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।

सु॰

(सुरेश कुमार बलाई)
उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर, खैरथल तिजारा, राज0

Scanned with OKEN Scanner